रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2000/श्रावण 16, 1922

No. 110] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2000/SRAVANA 16, 1922

GOVERNMENT OF INDIA

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2000

सं. टीएएमपी/6/2000-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार दिनांक 4 फरवरी, 2000 के अपने आदेश में संशोधन करता है। इसमें वह समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे आगे कंडला, जवाहरलाल नेहरू, मुम्बई और कलकत्ता के महापत्तनों पर बर्थ किराया नहीं लगेगा।

अनुसूची

मामला सं0 टीएएमपी/6/2000—सामान्य

आदेश

(जुलाई,2000 के 19वें दिन को पारित किया गया)

इस प्राधिकरण ने महापत्तनों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक आदेश 4 फरवरी,2000 को पारित किया था, जिसमें वह समय–सीमा निर्धारित की गई थी, जब बर्थ–किराया लागू नहीं होगा । यह आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में 23 फरवरी,2000 को राजपत्र संख्या 18 द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

2. कंडला पत्तन न्यास (केपीटी), जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) और मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) ने इस आदेश के विरूद्ध विचार प्रस्तुत करते हुए इन पत्तनों के चैनल में विद्यमान ज्वारभाटा स्थितियों के कारण इस आदेश को लागू करने में असमर्थता व्यक्त की है । यद्यपि, कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) को भी विचार–विमर्श में शामिल किया गया था ।

3. उपरोक्त पत्तनों द्वारा दिए गए औचित्य और समग्र विचार–विमर्श के संदर्भ में हमारे दिनांक 4 फरवरी,2000 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

दिनांक 4 फरवरी,2000 के आदेश में पैरा सं0 3 में पैरा 4 (ii) के पश्चात निम्नलिखित दो शर्तें शामिल की गई हैं :–

(iii) पोत का मास्टर/एजेंट केवल अनुकूल ज्वारभाटा और मौसम की स्थितियों के अनुसार ही पोत को चलने के लिए तैयार होने का संकेत देगा ।

(iv) बर्थ किराए की समाप्ति के लिए निर्धारित 4 घंटे की समयावधि को जहाज द्वारा अनुकूल ज्वारभाटा स्थितियों के लिए प्रतीक्षित अवधि में से निकाल दिया जाएगा ।

4. उपरोक्त संशोधन केवल केपीटी, जेएनपीटी, सीपीटी और एमबीपीटी पर लागू होंगे ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/143/2000/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2000

No. TAMP/6/2000-Genl.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends its Order dated 4 February, 2000 prescribing the time limit beyond which berth hire shall not apply, for adoption by the Major Ports of the Kandla, Jawaharlal Nehru, Mumbai and the Calcutta, as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No.TAMP/6/2000-Genl.

ORDER

(Passed on this 19th day of July 2000)

This Authority had passed an Order on 4 February 2000, for common adoption by all the Major Ports, prescribing the time limit beyond which berth hire shall not apply. This Order was notified in the Gazette of India, Extraordinary on 23 February 2000 as Gazette No.18.

2. The Kandla Port Trust (KPT), Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) and the Mumbai Port Trust (MBPT) have represented against the Order expressing their inability to implement the Order due to tidal conditions prevailing in the channel of these ports. Although, the Calcutta Port Trust (CPT) has not made any representation, knowing its propensity to reckon with tidal factors the CPT was also added to this consideration.

3. With reference to the justification given by the above ports and based on a collective application of mind, our Order dated 4 February 2000 is modified as given below:

In paragraph No.3 of the Order dated 4 February 2000 after paragraph 3 (ii), the following two conditions are included:-

(iii). The Master / Agents of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favourable tidal and weather conditions.

(iv). The time limit of 4 hours prescribed for cessation of berth hire shall exclude the ship's waiting period for want of favourable tidal conditions.

4. The above modification is applicable only to the KPT, JNPT, CPT, and MBPT.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT/III/IV/143/2000/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054